आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय
(जिला विधि शाखा)

16-11-2015
26-11-2015

विविध(आँगनबाड़ी) वाद संख्या–11/2012–13

रामबेला देवी

बनाम

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी(ICDS), लखीसराय एवं अन्य

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। अवलोकन किया।

आवेदिका की ओर से विज्ञ अधिवक्ता उपस्थित। राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, लखीसराय एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, लखीसराय उपस्थित। माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक–16.01.13 अंतर्गत writ याचिका C.W.J.C. No. 14000/2012 रामबेला देवी बनाम राज्य सरकार व अन्य को देखा। उक्त आदेश के आलोक में आवेदिका द्वारा आवेदन दिया गया।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदिका का चयन आँगनबाड़ी सेविका के पद पर दिनांक–21.06.2004 को केन्द्र सं0–54(पुराना)/67(नया), पासवान टोला, बिलौरी पर किया गया। आवेदिका द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन किया जाता रहा।

दिनांक–23.11.2007 को अपराह्न 03:30 बजे केन्द्र सं0–54(पुराना)/67(नया) का निरीक्षण जिला कल्याण पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा किया गया, जिसमें आवेदिका अनुपस्थित पायी गई एवं आवेदिका के उपर आरोप लगाया कि उनके द्वारा लाभुकों को THR का वितरण नहीं किया गया एवं तद्नुसार प्रतिवेदन निदेशक, ICDS, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को पत्रांक–743, दिनांक–23.11.2007 के द्वारा भेजा गया। उक्त पत्र के आलोक में निदेशक, ICDS, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बिना कोई कारण पृच्छा किए अपने आदेश ज्ञापांक–107, दिनांक–09.01.2008 के द्वारा आवेदिका को तत्कालिक प्रभाव से चयनमुक्त कर दिया गया। इस संबंध में आवेदिका के द्वारा 14.02.2008 को दिनांक–23.11.2007 को THR का वितरण संबंधित ग्रामिणों की उपस्थिति में किए जाने से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें ग्रामिणों के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त आवेदन पर तत्कालीन जिला पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के फलस्वरूप आवेदिका के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के न्यायालय में सेवा अपील संख्या–09/12 रामबेला देवी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा दिनांक–31.01.2012 को आदेश पारित किया गया, जो निम्नवत है :–

"The Appelant is given limited relief, that Mrs. Rambela Devi can appear before the Aam Sabha and become a candidate. Her candidature will not be banned. Let the village deciding in her selection on process." उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में C.W.J.C. No. 14000/2012 रामबेला देवी बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर किया गया। तद्नुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–16.01.2013 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक–29.01.2013 को आवेदिका द्वारा समाहर्त्ता न्यायालय में वाद दायर किया गया।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

राज्य की ओर से उपस्थित सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि आवेदिका के द्वारा दिनांक–23.11.2007 को THR का वितरण नहीं किया गया। आवेदिका के द्वारा अपने आवेदन में आरोप लगाया गया है कि मुखिया के ईशारे पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा उन्हें चयनमुक्त करने की अनुशंसा की गयी, जो सर्वथा गलत है। क्योंकि जिला कल्याण पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा दिनांक–23.11.2007 को आवेदिका के केन्द्र सहित अन्य 8 आँगनबाड़ी केन्द्रो का भी निरीक्षण किया गया है एवं तदनुसार प्रतिवेदन पत्रांक–743, दिनांक–23.11.2007 के द्वारा निदेशक, ICDS, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया। जहां तक आवेदिका द्वारा दिनांक–23.11.2007 को THR के वितरण से संबंधित ग्रामीणों के हस्ताक्षरयुक्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के बिन्दु पर स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा THR के वितरण से संबंधित ग्रामीणों का हस्ताक्षर बाद में करवाकर प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त आवेदिका के चयन पत्र पत्रांक–143, दिनांक–21.06.2004 में स्पष्ट उल्लेख है कि "किसी भी समय बगैर पूर्व सूचना के आपका चयन रद्द किया जा सकता है।" चूँकि आवेदिका का चयन रद्द आदेश विभाग द्वारा निर्गत किया गया है इसलिए आवेदिका से स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया।

उभय पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, लखीसराय के विरूद्ध लगाए गए आरोप कि उनके द्वारा मुखिया के ईशारे पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उन्हें चयनमुक्त करने की अनुशंसा की गई, सर्वथा गलत है। क्योंकि जिला कल्याण पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा दिनांक–23.11.2007 को कुल आठ आँगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। आवेदिका द्वारा दिनांक–23.11.2007 को THR का वितरण नहीं किया गया। उनके द्वारा THR वितरण संबंधी प्रमाण लगभग तीन माह बाद दिनांक–14.02.2008 को उपलब्ध कराया गया। स्पष्ट है आवेदिका द्वारा THR वितरण में अनियमितता बरती गई। साथ ही आवेदिका द्वारा दिनांक–23.11.2007 को अपराह्न बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, लखीसराय कार्यालय जाने से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। अतः आवेदिका के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही निष्पादित की जाती है।

लेखापित / संशोधित

26/11/15

जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

26/11/15

जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

ज्ञापांक–1098 विधि, दिनांक–26-11-15

प्रतिलिपि :– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सूचना विज्ञान केन्द्र, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– रामबेला देवी, पति–अंगद यादव, सा0–बिलौरी, थाना व जिला–लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

26/11/15

जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।